

आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर

क्रमांक-एफ 23(16)/लेखा/आकाशि/छा.स्कू.यो.ऑनलाईन/2019-20/1072

दिनांक- 12/02/2020

आदेश

वित्तीय वर्ष 2019-20 में राजस्थान स्थित राजकीय महाविद्यालयों में अध्ययनरत छात्राओं से ऑनलाईन विभागीय वेबसाइट <http://hte.rajasthan.gov.in/> के Home Page पर Online Scholarship पर क्लिक कर पेपरलेस आवेदन पत्र ऑनलाईन पंजीकरण, आवेदन पत्र भरने, शिक्षण महाविद्यालय को प्राप्त समस्त ऑनलाईन आवेदन पत्रों की विस्तृत जांच उपरान्त स्वीकृति योग्य आवेदन पत्रों को संबंधित महाविद्यालयों द्वारा स्वीकृतकर्ता अधिकारी को ऑनलाईन (Forward) करने एवं स्वीकृतकर्ता अधिकारी द्वारा आवेदन पत्रों की जांच उपरान्त पात्र आवेदन पत्रों पर अभिशंषा करने एवं आक्षेप योग्य आवेदन पत्रों को संबंधित महाविद्यालयों/विद्यार्थियों को प्रतिप्रेषित (Forward) करने के लिये निम्नानुसार तिथियां प्रस्तावित की जाती है :-

क्र.सं.	विषय वस्तु/छात्रवृत्ति का नाम	निर्धारित तिथियां
1	कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना - वर्ष 2019-20	क्र.सं. 1 से 3 तक दर्शायी गई छात्रवृत्तियों के नियम, शर्तें इत्यादि विभागीय वेब- साइट http://hte.rajasthan.gov.in/ के Home Page पर Online Scholarship पर जानकारी प्राप्त कर नीचे दी गई तिथि एवं दिशा निर्देश अनुरूप ऑनलाईन आवेदन करें।
2	देवनारायण छात्रा स्कूटी योजना - वर्ष 2019-20	
3	देवनारायण छात्रा प्रोत्साहन राशि योजना - वर्ष 2019-20	
4	उक्त छात्रवृत्ति हेतु विश्वविद्यालय/ महाविद्यालय का पेपरलेस ऑनलाईन पंजीकरण, प्रोफाईल अपडेशन एवं उनके अधीन समस्त राजकीय महाविद्यालय का पंजीयन/पाठ्यक्रम सत्यापन अनुमोदन करने के लिये ऑनलाईन पोर्टल प्रारम्भ करने की तिथि	21 अक्टूबर, 2019 से प्रारम्भ
5	उपर्युक्त छात्रवृत्ति हेतु विद्यार्थियों के द्वारा पेपरलेस ऑनलाईन आवेदन पत्र पंजीकरण कर ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने के लिये छात्रवृत्ति हेतु विद्यार्थियों के लिये पेपरलेस ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि/पोर्टल बन्द करने की अंतिम तिथि	08 फरवरी, 2020
6	महाविद्यालयों द्वारा विद्यार्थियों से प्राप्त ऑनलाईन आवेदन पत्रों की गहन जांच कर पात्र आवेदन पत्र जिला नोडल अधिकारी को फॉरवर्ड करने की अंतिम तिथि	17 फरवरी, 2020
7	कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना/देवनारायण छात्रा स्कूटी एवं प्रोत्साहन राशि योजनान्तर्गत में प्राप्त समस्त आवेदन पत्रों की संबंधित जिला नोडल अधिकारी द्वारा जांच एवं आक्षेप पूर्ति उपरान्त बनाकर आयुक्तालय में ऑनलाईन प्रेषित करने की अंतिम तिथि।	20 फरवरी, 2020
8	आयुक्तालय द्वारा कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना/देवनारायण छात्रा स्कूटी एवं प्रोत्साहन राशि योजना में प्राप्त ऑनलाईन आवेदन पत्रों की जांच उपरान्त अस्थाई सूची जारी करने की तिथि।	25 फरवरी, 2020

9	उपर्युक्त दोनों योजनाओं में स्कूटी के प्राप्त आवेदन पत्रों पर आक्षेप निराकरण पश्चात् स्थाई/अंतिम वरीयता सूची जारी करने की तिथि ।	28 फरवरी, 2020
---	--	----------------

छात्रवृत्ति पोर्टल 2019-20 पर उपर्युक्त छात्रवृत्ति योजनाओं में पेपरलेस ऑनलाईन आवेदन करने हेतु शीर्ष महाविद्यालयों एवं विद्यार्थियों के लिए दिशा-निर्देश :-

- 1 राज्य में स्थित राजकीय महाविद्यालय/वित्त पोषित विश्वविद्यालय द्वारा <http://hte.rajasthan.gov.in/> के Home Page पर Online Scholarship पर क्लिक कर एस.एस.ओ. (single sign on) आई.डी. के द्वारा पंजीकरण करने के उपरान्त, संस्थाओं की प्रोफाइल अपडेशन, पाठ्यक्रम मैपिंग आदि कर इस विभाग को पेपरलेस ऑनलाईन फॉरवर्ड कर राज्य स्तरीय समिति से ऑनलाईन सत्यापन/अनुमोदन करवाना आवश्यक है। इसके अभाव में अधीनस्थ महाविद्यालयों का ऑनलाईन सत्यापन/अनुमोदन किया जाना संभव नहीं होगा।
- 2 राज्य में राजकीय महाविद्यालय/वित्त पोषित विश्वविद्यालय द्वारा <http://hte.rajasthan.gov.in/> के Home Page पर Online Scholarship पर क्लिक कर एस.एस.ओ. (single sign on) आई.डी. के द्वारा पंजीकरण करने के उपरान्त, संस्थाओं की प्रोफाइल अपडेशन, पाठ्यक्रम मैपिंग आदि कर उससे संबंधित शीर्ष संस्था को (Higher Authority) को ऑनलाईन फारवर्ड कर संबंधित शीर्ष संस्था से ऑनलाईन सत्यापन/अनुमोदन करवाना आवश्यक है। इसके अभाव में विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति हेतु ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने के लिए छात्रवृत्ति पोर्टल पर शिक्षण संस्थान प्रदर्शित नहीं होगा।
- 3 क्र.सं. 1 पर अंकित कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी प्रतिभावान छात्राओं को देय है। विस्तृत विवरण <http://hte.rajasthan.gov.in/> के Home Page पर Online Scholarship पर क्लिक कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
- 4 क्र.सं. 2 एवं 3 पर अंकित छात्रवृत्ति विशेष पिछड़ा वर्ग/MBC (1-बंजारा, बालदिया, लबाना 2. गाड़िया-लोहार, गाड़ोलिया 3. गूजर, गुर्जर 4. रायका, रैबारी देबासी 5. गडरिया (गाडरी), गायरी) को देय है। विस्तृत विवरण हेतु <http://hte.rajasthan.gov.in/> के Home Page पर Online Scholarship पर क्लिक कर जानकारी प्राप्त करें।
- 5 कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना में राजस्थान मूल की वे छात्राएँ जिन्होंने राजकीय विद्यालय से 9वीं से 12वीं तक अध्ययन कर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर राजस्थान की 12वीं की कक्षा 75 प्रतिशत या उससे अधिक अंक प्राप्त कर राजस्थान स्थित राजकीय महाविद्यालयों में प्रवेश लेकर नियमित रूप से अध्ययनरत हो, राजस्थान की मूल निवासी एवं 2.50 लाख रु से कम वार्षिक आय सीमा वाले आवेदन हेतु पात्र है।
- 6 देवनारायण छात्रा स्कूटी एवं प्रोत्साहन राशि योजनान्तर्गत राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित विशेष पिछड़ा वर्ग (1. बंजारा, बालदिया, लबाना 2. गाड़िया लौहार, गाड़ोलिया 3. गुर्जर, गूजर 4. राईका, रेबारी (देबासी) 5. गडरिया (गाडरी,) गायरी) की जो छात्रा राजकीय महाविद्यालयों में नियमित अध्ययनरत हो, राजस्थान की मूल निवासी हो, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर/केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से 12वीं कक्षा 50 प्रतिशत अंकों से उत्तीर्ण हो तथा आय 2.00 लाख रु से कम हो आवेदन हेतु पात्र है।
- 7 विद्यार्थियों की आधारभूत सूचनाएँ जैसे-नाम, जाति, लिंग, आयु, पिता का नाम, माता का नाम, धर्म, बैंक खाता संख्या, मोबाईल नम्बर आदि भामाशाह पोर्टल से ली जा रही है। आपके शैक्षणिक रिकार्ड एवं भामाशाह पोर्टल पर उपलब्ध डाटा में कोई भिन्नता हो तथा शैक्षणिक रिकार्ड के मुताबिक परिवर्तन कराना चाहता है तो भामाशाह पोर्टल में अंकित सूचना में भामाशाह पोर्टल के माध्यम से ही संशोधन करवाया जाना आवश्यक होगा।
- 8 आय का घोषणा पत्र एक पृष्ठीय निर्धारित प्रपत्र-द में ही बनाकर मूल ही स्कैन कर पोर्टल पर यथा स्थान अपलोड करना होगा। पिता जीवित होने की स्थिति में पिता द्वारा, पिता की मृत्यु होने की स्थिति में माता द्वारा, माता-पिता दोनों की मृत्यु होने की स्थिति में संरक्षक द्वारा, माता-पिता

एवं संरक्षक तीनों ही नहीं होने की स्थिति में स्वयं द्वारा, विवाहित महिला होने की स्थिति में पति द्वारा तथा विधवा/परित्यक्ता की स्थिति में स्वयं द्वारा आय की घोषणा की जावेगी। माता-पिता नियोजित होने की स्थिति में नियोक्ता द्वारा जारी एक पृष्ठीय मूल आय प्रमाण पत्र/फार्म नं. 16/आयकर रिटर्न स्कैन कर पोर्टल पर यथास्थान अपलोड करना होगा।

- 9 विद्यार्थी की छात्रवृत्ति राशि भामाशाह कार्ड में अंकित विद्यार्थी के बैंक खाता में हस्तान्तरित होगी। भामाशाह पोर्टल में विद्यार्थी के नाम सामने विद्यार्थी का बैंक खाता संख्या नहीं होने की स्थिति में भामाशाह कार्ड में दिये गये परिवार के मुखिया के बैंक खाते में राशि हस्तान्तरित होगी। यदि विद्यार्थी अपने खाते में ही राशि हस्तान्तरण करवाना चाहता है तो विद्यार्थी को भामाशाह पोर्टल पर अपना बैंक खाता संख्या अंकित करवाना अनिवार्य होगा।
- 10 विद्यार्थी को शैक्षणिक संस्थान एवं पाठ्यक्रम का चयन सावधानी पूर्वक करना होगा। यदि विद्यार्थी द्वारा गलत शैक्षणिक संस्थान/पाठ्यक्रम/अथवा अन्य का चयन किया जाता है एवं इस आधार पर आवेदन स्थाई रूप से निरस्त हो जाता है तो इसके लिए विद्यार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
- 11 विद्यार्थी को आक्षेप की पूर्ति के लिए भी अधिकतम तीन दिवस का समय प्रदान किया जाएगा। यदि विद्यार्थी तीन दिवस में आक्षेप की पूर्ति नहीं करता है तो ऐसा ऑनलाईन आवेदन स्वतः ही निरस्त हो जाएगा।

राजस्थान स्थित राजकीय महाविद्यालयों/राज्यवित्त पोषित महाविद्यालय/विश्वविद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थियों के आवेदन पत्र, विद्यार्थी जिस जिले में अध्ययनरत है उस जिले के स्वीकृतकर्ता प्राचार्य/जिला नोडल अधिकारी को ऑनलाईन फॉरवर्ड किए जाएंगे।



(प्रदीप कुमार बोर्ड)

आयुक्त


कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर

क्रमांक-एफ 23(16)/लेखा/आकाशि/छा.स्कू.यो.ऑनलाईन/2019-20/1073-96 दिनांक-12/02/2020

प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. संयुक्त सचिव (पीसी), माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग राज. जयपुर।
3. सचिव, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, राज. जयपुर।
4. प्रमुख शासन सचिव, संस्कृत शिक्षा विभाग, जयपुर।
5. प्रमुख शासन सचिव, सूचना प्रौद्योगिक एवं संचार विभाग, जयपुर।
6. शासन सचिव, श्रम एवं नियोजन विभाग, जयपुर।
7. शासन सचिव, शिक्षा विभाग, (माध्यमिक/प्राथमिक) जयपुर।
8. आयुक्त, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान जयपुर।
9. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर।
10. निदेशक, प्राथमिक शिक्षा, बीकानेर।
11. निदेशक विशेष योग्यजन, जयपुर।
12. निदेशक संस्कृत शिक्षा विभाग, शिक्षा संकुल, जयपुर।
13. निदेशक, तकनीकी शिक्षा विभाग, जोधपुर।
14. निदेशक (प्रशिक्षण), प्राविधिक शिक्षा विभाग, जोधपुर।
15. राज्य सूचना एवं विज्ञान अधिकारी, एन.आई.सी. राजस्थान।
16. जिला कलेक्टर (समस्त)
17. वित्तीय सलाहकार, मुख्यावास।
18. संयुक्त निदेशक, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर, जयपुर।
19. मुख्य कार्यकारी अधिकारी/अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद् (समस्त)
20. कोषाधिकारी समस्त राजस्थान।

21. रजिस्ट्रार राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर/महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर/कोटा विश्वविद्यालय कोटा, जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर/मोहनलाल सुखाडिया विश्वविद्यालय, उदयपुर/महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर/पं. दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय सीकर/श्री भृतहरी मत्स्य विश्वविद्यालय अलवर/बृज विश्वविद्यालय भरतपुर, गोविन्द गुरु जनजाति विश्वविद्यालय, बासवाड़ा, राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालय समस्त राजस्थान।
22. सिस्टम एनालिस्ट (संयुक्त निदेशक)/एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, मुख्यावास को उपरोक्तानुसार बेवसाइट पर अपलोड करवाने।
23. सहायक निदेशक (क्षेत्रीय), जयपुर, अजमेर, कोटा, बीकानेर, उदयपुर, जोधपुर कॉलेज शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
24. प्राचार्य/जिला नोडल अधिकारी, समस्त राजकीय महाविद्यालय राजस्थान को समयबद्ध कार्यक्रम अनुरूप ऑनलाईन आवेदनों की कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।



आयुक्त

कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर